कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (संरक्षर, रोक व सहायता) अधिनियम 2013

महिलाओं के विरूद्ध कार्यस्थल पर यौन हिंसा रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश।

कार्यस्थल – वह स्थान जहां पर पीडित महिला और आरोपी दोनों काम करते है, या काम के सिलसिले में समय – समय पर आते जाते है। इसके अन्तर्गत सभी सरकारी सार्व्रजनिक व नीजी प्रतिष्ठान आते है।

यौन उत्पीडन – कामकाजी महिला के साथ कार्यस्थल में किसी पुरूष सहयोगी का ऐसा व्यवहार जो उस महिला को उसकी इच्छा के विरूद्ध यौन भावना से संचालित किसी भी व्यवहार या हरकत का कार्यस्थल पर यौन प्रताडना माना जाएगा।

- जबरदस्ती शारीरिक सम्पर्क बनाने की कोशिस करना।
- यौन सम्बन्ध बनाने की मांग दबाव डालना या कोई याचना करना।
- आपत्तिजनक टिप्पणी चुटकुले, ताने, दोहरे अर्थ के संवाद व गाली देना।
- अश्लील चित्र या ई – मेल करना।
- तरक्की जैसे मोको को यौन सम्बंध से जोडकर. दबाव बनाना।

आन्तरिक शिकायत समिति –

दिनांक 26 अगस्त 2016 को अर्पण की आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था वर्तमान में वर्ष 2023 – 2024 समिति में निम्न सदस्य हैं।

गंगा बसेड़ा	संस्था की वरिष्ठ जेन्डर विशेषज्ञ	7351060035
रेखा रानी	वाह्यय तीसरा पक्ष विशेषज्ञ	9548585989
निर्मल चौधरी	वाह्यय तीसरा पक्ष विशेषज्ञ	9412996356
खद्योत ओझा	संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता	9690048458
नेहा पाल	संस्था की वरिष्ठ कार्यकर्ता	9258026158

घटना की शिकायत व घटना का पूरा ब्यौरा लिखित रूप 15 दिन के भीतर शिकायत समिति को दी जानी चाहिए।

यदि महिला किसी कारण अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहे तो उसे गोपनीय रखा जाएगा।